

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड

(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 88/2015

संस्थित दिनांक-01/07/2013

फाईलिंग नंबर-230303012862013

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियोजन

वि रू द्ध

1. अमित पुत्र सुरेश सिंह तोमर उम्र 27 साल
निवासी ग्राम छरेंटा थाना एण्डोरी हाल हनुमान
नगर ग्वालियर मकान नंबर-01/03 थाना गोले
का मंदिर ग्वालियर म0प्र0
2. त्रिलोकसिंह पुत्र बृजेशसिंह तोमर उम्र 25 साल
निवासी ग्राम सर्वा थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड
म0प्र0

-----आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष अपर लोक अभियोजक।
आरोपीगण द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 31 अगस्त 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्तगण अमित एवं त्रिलोकसिंह के विरुद्ध धारा-392/398 सहपठित धारा-34 भादवि एवं धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पीके0 एक्ट 1981 के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 24.01.13 को 20.30 बजे बाराहेट तिराहे से पहले मंदिर के पास हाईवे रोड थाना गोहद चौराहा डकैती प्रभावित क्षेत्र में अपने सह आरोपी के साथ एक राय होकर अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में कट्टा दिखाकर परिवादी और उसके साथी से 600-600 रुपये नगद छीने और परिवादी से सैमसंग मोबाईल मॉडल एस-5360 गैलैक्सी बाई, जिसका आई0एम0ई0आई0 नंबर-352384/05/114384/2 है, को लूटा। तथा आरोपी अमित कुमार तोमर के विरुद्ध धारा-25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के अंतर्गत यह भी आरोप है कि वह उक्त दिनांक स्थान व समय पर अपने उक्त डकैती प्रभावित क्षेत्र में बिना वैध अनुज्ञप्ति के एक 315 बोर का कट्टा मय 01 राउण्ड अपने आधिपत्य में रखे हुए था।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि घटना दिनांक को घटनास्थल मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.

1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था। यह भी निर्विवादित तथ्य है कि जप्तशुदा बुलेरो गाडी क्रमांक-एम0पी-07 सी0बी0-3157 आरोपी अमितसिंह तोमर के पिता सुरेश सिंह तोमर के नाम से पंजीकृत है जो उसके पिता को न्यायालय से सुपुर्दगी पर भी प्राप्त हुई है। जो ग्वालियर का निवासी है और आरोपी अमित भी ग्वालियर का ही निवासी है।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि फरियादी दिनेश गुर्जर ने ने दिनांक 25.01.13 को थाना गोहद चौराहा पर इस आशय की रिपोर्ट की कि कल शाम यानि 24.01.13 को वह अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक-एम0पी0-07 एम0बी0-2609 से ग्वालियर से शादी में नुन्हाटा जा रहा था। उसके साथ हनुमंत था जो गाडी चला रहा था। वह पीछे बैठा था। व दूसरी मोटरसाइकिल से निकेश व मुनेन्द्र आगे जा रहे थे। जब वह बाराहेट तिराहा से आगे मंदिर के पास पहुंचा तो रोड पर खड़े दो अज्ञात बदमाशों ने कटटा दिखाकर उसे रोक लिया। बगल में उनकी बुलेरो गाडी नीचे रोड की तरफ खड़ी थी। जिसका नंबर-एम0पी0-07सी0बी0-3157 था। दोनों बदमाश उन दोनों का एक तरफ ले गये। फिर उससे उसका मोबाईल सैमसंग कंपनी का मॉडल नंबर-एस-5360 गैलेक्सी वाई जिसका आई0एम0ई0आई0 नंबर-352384/05/114384/2 है जिसमें सिम क्रमांक-8871106558 पड़ी थी, उससे छीन लिया। व पर्स में रखे 600रुपये नगदी छीन लिये। एवं हनुमंत गुर्जर से भी पर्स के 600 रुपये छीन लिये। फिर उसके मोबाईल से सिम निकालकर वापिस कर दी जो उसके पास है। फिर वह लोग अपनी बुलेरो गाडी में बैठकर मालनपुर तरफ चले गये। तब आगे जा रहे उसके साथी निकेश गुर्जर व मुनेन्द्र राजावत आ गये। तब वे गाडी का मोटरसाइकिल से पीछा करते हुए मालनपुर तक गये थे। फिर बुलेरो गाडी वापिस हो गई। वह डर के कारण अपने घर ग्वालियर चला गया था। बदमाशों में एक लंबा था इकहरे बदन का गोरा था, एक ठिगाना सांवला सा था, सामने आने पर पहचान लेगा।

4. फरियादी द्वारा की गई उक्त रिपोर्ट पर से अप0क0-24/13 धारा-392 भादवि एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत प्र0पी0-4 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान नक्शामौका, गिरफ्तारी जप्ती एवं साक्षीगण के कथन आदि की कार्यवाही कर संपूर्ण विवेचना उपरान्त आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

5. अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा-392/398 सहपठित धारा-34 भादवि एवं धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 एवं आरोपी अमित कुमार तोमर के विरुद्ध अतिरिक्त रूप से धारा-25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। उसकी ओर से बचाव में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1. क्या आरोपी अमितकुमार तोमर एवं त्रिलोकसिंह ने दिनांक 24.01.13 को रात करीब 8.30 बजे डकैती प्रभावित क्षेत्र भिण्ड-ग्वालियर राजमार्ग बाराहेड तिराहे के पास लूट की घटना कारित करने के लिये आपस में मिलकर सामान्य आशय निर्मित किया?
2. क्या उक्त आरोपीगण ने उक्त सुसंगत घटना में उक्त सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए बाराहेड तिराहे के पहले भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग पर मंदिर के पास परिवादी दिनेश गुर्जर से उसका सैमसंग गैलेक्सी मोबाईल एस-5360 मॉडल एवं 600/-रुपये नगदी तथा उसके साथी हनुमंत सिंह से 600/-रुपये नगदी छीनकर लूटकारित की?
3. क्या आरोपीगण ने उक्त सुसंगत घटना में परिवादी दिनेश गुर्जर एवं हनुमंत सिंह के साथ घातक आयुधों से सज्जित होते हुए लूटकारित की?
4. क्या आरोपी अमित सिंह तोमर उक्त सुसंगत घटना के समय अपने आधिपत्य व संज्ञान में वगैर वैध शस्त्र अनुज्ञप्ति के 315 बोर का देशी कट्टा मय जीवित कारतूस रखे हुए पाया गया ?
5. क्या आरोपी अमितसिंह तोमर के द्वारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा-3 का उल्लंघन किया गया है? यदि हाँ तो दण्ड?

-:-निष्कर्ष के आधार :-

-:- विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 लगायत 3 का निराकरण -:-

7. उपरोक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का विश्लेषण एवं निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।
8. परीक्षित साक्षियों में से लूट एवं लूट की घटना में घातक आयुधों से सुसज्जित होने के बिन्दु पर सर्वाधिक महत्व के साक्षी एवं पीड़ित एवं रिपोर्टकर्ता दिनेश गुर्जर अ0सा0-3 एवं हनुमंतसिंह अ0सा0-5 हैं जिनके साथ लूट की घटना कारित होना बताई गई है। तथा मौके पर घटना के तत्पश्चात ही पहुंचे हुए साक्षियों में परिवादी के मित्रगण निकेश गुर्जर अ0सा0-3 एवं मुनेन्द्रसिंह राजावत अ0सा0-4 बताये गये हैं जिनके अभिसाक्ष्य का सर्वप्रथम मूल्यांकन करना उचित व न्यायसंगत है। दिनेशसिंह गुर्जर अ0सा0-2 ने अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन कथानक मुताबिक इस आशय की साक्ष्य दी है कि दिनांक 24.01.13 को ग्वालियर से वह अपने मित्र की शादी में शामिल होने के लिये ग्राम नुन्हाटा गया था। उसके साथ हनुमंतसिंह भी था। हनुमंत की मोटरसाइकिल से गये थे जिसे हनुमंत चला रहा था। वह पीछे बैठा था। जैसे ही वे गोहदचौराहा के पास पहुंचे थे तो दो अज्ञात व्यक्तियों ने उनका रास्ता रोक लिया था। उस समय रात के करीब साढ़े दस बजे का समय था। उनकी मोटरसाइकिल को हाथ देकर रोका था। जैसे ही मोटरसाइकिल को सड़क किनारे किया वैसे ही पीछे से उसे कट्टा

लगाया था और उसकी जेब से मोबाईल एवं 600/-रूपये तथा हनुमंत की जेब से भी 600/-रूपये छीन लिये थे और आगे जाने को कहा था। जैसे ही वह आगे गये तो उन्होंने देखा था कि सड़क किनारे लुटेरों की एक बुलेरो कार खड़ी थी जिसमें बैठकर ही लुटेरे ग्वालियर की तरफ गये थे। उन्होंने बुलेरो गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। जो एम0पी0-07 सी0बी0-3157 है। उसका यह भी कहना है कि उसके मित्र निकेश व मुनेन्द्र भी एक शादी में शामिल होने के लिये अलग से मोटरसाइकिल से ग्वालियर से ही ग्राम नुन्हाटा चले थे जो घटना के समय उनसे आगे निकल गये थे। जो कि वापिस उन्हें देखने के लिये आये थे और लूट करने वालों को बुलेरो गाड़ी में जाते देखा था। घटना हो जाने के कारण वे डर गये थे। फिर शादी में शामिल नहीं हुए और वापिस ग्वालियर चले गये थे। दूसरे दिन उसने थाना गोहदचौराहा पर जाकर प्र0पी0-4 की रिपोर्ट लिखाई थी उसके बाद वह अपने घर चला गया था और पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। उसका यह भी कहना रहा है कि घटना कारित करने वालों को वह नहीं पहचानता है न ही उन्हें सामने आने पर पहचान सकता है। इस आधार पर अभियोजन के द्वारा उक्त परिवादी साक्षी को पक्ष विरोधी बताते हुए प्रतिपरीक्षा की भांति सूचक प्रश्न आरोपीगण की पहचान के संबंध में समर्थन न करने के कारण किये गये किन्तु उक्त परिवादी साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उसने पुलिस को घटना कारित करने वाले व्यक्तियों का कद, काठी, हुलिया बताया था और घटना कारित करने वालों को सामने आने पर पहचान लेने की बात बताई थी। रिपोर्ट विलंब से करने के संबंध में उसने प्रतिपरीक्षण के पैरा-5 में यह स्पष्टीकरण भी दिया है कि वह डर गया था इसलिये रास्ते में पड़ने वाले थानों में उसने रिपोर्ट नहीं की। उक्त साक्षी ने अपने अभिसाक्ष्य के दौरान न तो आरोपी त्रिलोक को पहचाना न ही अमित तोमर को पहचाना और दोनों से समझौता होने से भी इन्कार किया है तथा इस बात से भी इन्कार किया है कि उक्त आरोपीगण ने ही उसके साथ लूट की। बल्कि उसने आरोपी अमित को न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ही पहली बार देखना बताया है।

9. अ0सा0-2 के अभिसाक्ष्य की तरह ही निकेश गुर्जर अ0सा0-3, मुनेन्द्रसिंह राजावत अ0सा0-4 और घटना के दूसरे आहत हनुमंतसिंह अ0सा0-5 का अभिसाक्ष्य आया है। उक्त साक्षियों में से किसी ने भी आरोपीगण को नहीं पहचाना है। निकेश एवं मुनेन्द्र के अभिसाक्ष्य में यह भी उनके द्वारा बताया गया है कि घटना उनके सामने नहीं हुई और जब वे अपनी मोटरसाइकिल से लौटकर वापिस दिनेश व हनुमंतसिंह के पास पहुंचे थे, उसके पहले ही लूट हो चुकी थी। हालांकि वे दोनों बुलेरो गाड़ी नंबर-एम0पी0-07 सी0बी0-3157 में लूट करने वाले बदमाशों को बैठकर मालनपुर तरफ भागने की बात अवश्य बताती है लेकिन आरोपीगण को न्यायालय में ही पहली बार देखना वे कहते हैं।

10. हनुमंतसिंह अ0सा0-5 के द्वारा पहचान के बिन्दु पर समर्थन न करने से अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी बताते हुए पूछे गये सूचक प्रश्नों में उसने भी इस बात से इन्कार किया है कि लुटेरों को गाड़ी की हैडलाईट की रोशनी में उसने पहचान लिया था। इस बात से भी इन्कार किया है कि वह जान-बूझकर

आरोपीगण को पहचानने से इन्कार कर रहा है। इस बात से भी उसने इन्कार किया है कि उसके और दिनेश के साथ जो लूट की घटना हुई वह हाजिर अदालत आरोपीगण के द्वारा ही की गई। साक्षी ने प्र०पी०-6 का ए से ए कथन भी देने से इन्कार किया है जिसमें आरोपीगण को पहचान लेने की बात कही गई है। इसी प्रकार दिनेश अ०सा०-2 ने भी प्र०पी०-5 का पुलिस का कथन देने से इन्कार किया है और अ०सा०-2 लगायत 5 को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी बताया गया है जिसमें से निकेश अ०सा०-3 और मुनेन्द्रसिंह अ०सा०-4 को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित नहीं किया गया है।

11. इस प्रकार से घटना के चारों महत्वपूर्ण साक्षी अ०सा०-2 लगायत 5 आरोपीगण को नहीं पहचानते हैं। अनुसंधान के दौरान भी उनके द्वारा पहचान किये जाने का प्रमाण संकलित होना नहीं बताया गया है। ऐसे में स्वयं पीड़ित साक्षी एवं मौके के साक्षियों से लूट की घटना का इस रूप में कोई समर्थन नहीं है कि वह विचाराधीन आरोपीगण के द्वारा कारित की गई। चारों साक्षियों के अभिसाक्ष्य में इतनी समरूपता अवश्य आई है कि दिनेश गुर्जर और हनुमंतसिंह के साथ लूट की घटना दिनांक 24.01.13 के रात साढ़े आठ बजे बाराहेट तिराहे पास मंदिर के निकट भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग पर जब वे मोटरसाइकिल से अपने मित्र की शादी में ग्राम नुन्हाटा जा रहे थे तब दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उन्हें रास्ते में रोककर लूट की गई जिसमें दिनेश गुर्जर का सैमसंग कंपनी का मोबाइल मॉडल नंबर गैलैक्सी एस-5360 और 600/-रुपये तथा हनुमंत से भी 600/-रुपये कट्टा अडाकर लूटे गये। किन्तु वह लूट किसके द्वारा कारित की गई, इसके बारे में केवल यह तथ्य ही आया है कि लूट करने वाले बुलेरो गाड़ी नंबर-एम०पी०-07 सी०बी०-3157 में लूट के बाद भागकर ग्वालियर की ओर गये थे। निर्विवादित रूप से जो बुलैरा गाड़ी बताई गई है वह प्र०पी०-3 के जप्ती पत्रक मुताबिक आरोपी अमित तोमर से जप्त बताई गई है। जो कि उसके पिता सुरेशसिंह तोमर के नाम से पंजीकृत है।

12. प्रकरण में वाहन स्वामी सुरेशसिंह तोमर से कोई कथन या प्रमाणीकरण इस आशय का संकलित नहीं किया गया है कि दिनांक 24.01.13 को रात के साढ़े आठ बजे के करीब उसके स्वामित्व की गाड़ी किसकी शक्ति या आधिपत्य में थी तथा वह गाड़ी का किस रूप में उपयोग करता है। क्या वह परिवहन में उपयोग करता है या निजी उपयोग के लिये रखी है। इसके अभाव में बुलेरो गाड़ी की जप्ती यदि प्रमाणित मानी जाये तो उससे इस आशय की उपधारणा निर्मित नहीं की जा सकती है कि आरोपीगण उसी गाड़ी से लूट की घटना को अंजाम देने के लिये आये या गये। क्योंकि यदि सवारी गाड़ी के रूप में वाहन का उपयोग होता हो और उसमें कोई सवारी के रूप में बैठें तो उससे वाहन की जप्ती मामले को कड़ी के रूप में नहीं जोड़ सकती है, लेकिन यदि निजी उपयोग किया जाता हो तो उक्त वाहन की बरामदगी मूल घटना बावत कड़ी के रूप में जुड़ सकती है, जिसे आगे विश्लेषित करना होगा।

13. उपरोक्त चारों महत्वपूर्ण साक्षीगण अ०सा०-2 लगायत 5 के अभिसाक्ष्य

में समरूपता से आई यह साक्ष्य कि लूट करने वाले बुलेरो गाडी क्रमांक-एम0पी0-07सी0बी0-3157 में लूट करने के बाद बैठकर मालनपुर ग्वालियर की तरफ गये थे। यह बात स्वयं प्रतिपरीक्षा में भी सकारात्मक रूप से बचाव पक्ष की ओर से दिये गये सुझावों में भी आई है और स्वीकृत तौर पर तथा जैसा उपरोक्तानुसार आया है कि उक्त बुलेरो गाडी आरोपी अमित तोमर के पिता सुरेशसिंह तोमर के स्वामित्व की है और उसे आरोपी अमित से कथानक मुताबिक जप्त करना बताया है इसलिये यदि बुलेरो गाडी की जप्ती प्रमाणित होती है तो वह लूट की घटना से कडी के रूप में जुड सकती है। इस बिन्दु पर अभियोजन की साक्ष्य को सूक्ष्मता से विश्लेषित करना होगा। क्योंकि आरोपी अमितसिंह तोमर से एक बुलेरो गाडी प्र0पी0-3 के जप्ती पत्रक मुताबिक जप्त करना बताई गई है जिसकी जानकारी प्र0पी0-2 के धारा-27 साक्ष्य विधान के ज्ञापन के तहत अनुसंधान के दौरान प्राप्त हुई थी जिसके पंच साक्षी एवं जप्तीकर्ता अधिकारी सभी पुलिस कर्मी हैं। एक ही थाने में पदस्थ रहे हैं। पंचसाक्षी जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ भी हैं। जैसा कि जप्तीकर्ता ए0एस0आई0 सुभाष पाण्डे अ0सा0-13 ने अपने अभिसाक्ष्य में स्वीकार भी किया है और पंच साक्षी जितेन्द्रसिंह अ0सा0-1 तथा आरक्षक उग्रसैन अ0सा0-10 के द्वारा भी ऐसा बताया गया है। क्या उनकी साक्ष्य पुलिस कर्मी होने एक ही थाने में पदस्थ रहने के आधार पर हितबद्धतापूर्ण मानी जा सकती है और क्या उससे प्र0पी0-1 लगायत 3 की कार्यवाही संदिग्ध हो सकती है, यह मूल्यांकित करना होगा। क्योंकि बचाव पक्ष का ऐसा आक्षेप रहा है।

14. अन्य जो साक्षी परीक्षित हुए हैं, उनके अभिसाक्ष्य को देखा जाये तो उसके संबंध में प्र0पी0-1 लगायत 3 की कार्यवाही ए0एस0आई0 सुभाष पाण्डे अ0सा0-13 ने करना बताई है जिसमें उसका यह कहना रहा है कि दिनांक 06.02.13 को उसने आरोपी अमितसिंह तोमर को प्र0पी0-1 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाकर गिरफ्तार किया था तथा पूछताछ कर धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत प्र0पी0-2 का मेमोरेण्डम कथन लिया था जिसमें उसके द्वारा घटना में प्रयुक्त बुलेरो गाडी अपने पास होना, 600/-रुपये खर्च हो जाना भी बताया था। तत्पश्चात अमित के कब्जे से उक्त दिनांक को ही बुलेरो गाडी क्रमांक-एम0पी0-07 सी0बी0-3157 को प्र0पी0-3 का जप्ती पंचनामा बनाकर जप्त करना बताया है जिसका समर्थन आरक्षक जितेन्द्रसिंह अ0सा0-1 एवं आरक्षक उग्रसैन अ0सा0-10 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में किया है जिससे प्र0पी0-1 लगायत 3 के दस्तावेज अवश्य प्रमाणित होते हैं और आरोपी की गिरफ्तारी दिनांक 06.03.13 को विचाराधीन मामले से संबंधित अपराध में होना सुनिश्चित हो जाती है। बुलेरो गाडी की जप्ती अमित से हुई है जो आरोपी अमित के पिता की है। प्र0पी0-2 के तहत धारा-27 साक्ष्य विधान के अंतर्गत लिये गये ज्ञापन में यह बात आई है कि अमित द्वारा यह बताया गया था कि गाडी उसके पिता के नाम से है जिसे वह चलाता है जिससे प्र0पी0-2 में उल्लेखित तथ्य प्रमाणित माना जा सकता है। और बुलेरो गाडी की जप्ती के आधार पर यह उपधारणा निर्मित की जा सकती है कि फरियादी दिनेश गुर्जर और हनुमंतसिंह के साथ हुई लूट की घटना आरोपीगण के द्वारा ही अंजाम दी गई।

15. प्रकरण में परीक्षित साक्षियों में से केवल पुलिस साक्षी हैं ऐसे में उनकी अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना उचित व आवश्यक हो जाता है। किन्तु बचाव पक्ष का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि पुलिस साक्षी होने के आधार पर ही वे अविश्वसनीय हैं क्योंकि अच्छी न्यायिक परिपाटी भी नहीं है और पुलिस साक्षी पर ऐसा अविश्वास किये जाने का कोई नियम भी नहीं है। पुलिस साक्षी की साक्ष्य का स्वतंत्र साक्ष्य से पुष्ट होना आवश्यक हो। जैसा कि न्याय दृष्टांत **गिरधारी लाल गुप्ता विरुद्ध डी०एन०मेहता ए०आई०आर० 1971 एस०सी० पेज-28** में मार्गदर्शित किया गया है। माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भी न्याय दृष्टांत **रोशनसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ एम०पी० 2005 भाग-1 एम०पी०एल०जे० पेज-292** में यह प्रतिपादित किया गया है कि कोई साक्षी पुलिस कर्मचारी हो, मात्र इस आधार पर उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती है और विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुलिस साक्षी की साक्ष्य पर दोषसिद्धि स्थिर नहीं की जा सकती है। हालांकि न्याय दृष्टांत का मामला एन०डी०पी०एस० के अपराध से संबंधित था। इस संबंध में **गिरजाप्रसाद विरुद्ध स्टेट ऑफ एम०पी० ए०आई०आर० 2007 एस०सी०पेज-3106** भी अवलोकनीय है। इसलिये पुलिस साक्षी होने के आधार पर अभियोजन के प्रतिकूल कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

16. धारा-27 साक्ष्य विधान के उपबंध मुताबिक— **अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी—** परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चल जाता है, तब ऐसी जानकारी में से, चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी ऐतद द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी।

17. साक्ष्य विधान की धारा-27 के निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंग हैं:—

- 1 सूचना देने वाला व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए।
2. उसका पुलिस की अभिरक्षा में होना चाहिए।
3. उस व्यक्ति के द्वारा दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप किसी सुसंगत तथ्य का पता लगना चाहिए।
4. पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित भाग को साबित किया जा सकता है।
5. चाहे वह भाग संस्वीकृति की कोटि में आता हो या नहीं।

18. जहाँ तक यह प्रश्न है कि एक अभियुक्त की सूचना को दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध उपयोग में लाया जा सकता है। इस संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **पप्पू विरुद्ध स्टेट 2000(2)जे०एल०जे० पेज-391** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि एक अभियुक्त की सूचना पर किसी तथ्य का पता लगने पर उसके विरुद्ध उसका उपयोग किया जा सकता है। उस सूचना का उपयोग

दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है।

19. न्याय दृष्टांत **रामकिशन मीठालाल शर्मा विरुद्ध स्टेट ऑफ बॉम्बे ए0आई0आर0 1955 एस0सी0 104** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मार्गदर्शित किया गया है कि यदि धारा-27 साक्ष्य अधिनियम के तहत पुलिस की अभिरक्षा में दी गई सूचना जिससे किसी सुसंगत तथ्य का पता लगता है वह साबित की जा सकती है।

20. इस प्रकार से प्र0पी0-1 लगायत 3 की कार्यवाही करने वाले ए0एस0आई0 सुभाष पाण्डे अ0सा0-3 जिसका समर्थन पंच साक्षी आरक्षक जितेन्द्र अ0सा0-1, सुभाष पाण्डे अ0सा0-13 जिसका समर्थन पंच साक्षी आरक्षक जितेन्द्र अ0सा0-1 और उग्रसैन अ0सा0-10 ने भी किया है। इससे प्र0पी0-1 लगायत 3 संदेह से परे प्रमाणित होते हैं और साक्षियों के पुलिस कर्मी होने के आधार पर उन पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है तथा मेमोरेण्डम की कार्यवाही पुलिस अभिरक्षा में लेकर किया जाना नियम विरुद्ध नहीं है और बचाव पक्ष का केवल यही तर्क रहा है, कि गिरफ्तारी, जप्ती व मेमोरेण्डम की कार्यवाही थाने पर कर ली गई है जो वास्तविकता के प्रतिकूल है। किन्तु तर्क के संबंध में अभिलेख पर कोई परिस्थितियाँ नहीं हैं। आरोपीगण की ओर से रंजिशन झूठा फंसाये जाने का आधार लिया गया है किन्तु उनकी ओर से न तो अभियोजन साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में न ही अपनी ओर से कोई ऐसा आधार दर्शित किया गया है या तथ्य व परिस्थितियाँ बताई गई हैं जो यह दर्शित करें कि आरोपीगण या परिवादी पक्ष या पुलिस की कभी कोई आपसी बुराई भलाई रही हो जिस कारण मामला असत्य रूप से पंजीबद्ध किया गया हो। ऐसे में ए0एस0आई0 सुभाष पाण्डे अ0सा0-13 की कार्यवाही पूर्णतः प्रमाणित होती है जिससे आरोपी अमितसिंह तोमर द्वारा लूट में उपयोग में लाई गई बुलेरो गाडी बरामद होना पाई जाती है और उसके कब्जे से ही वह बरामद हुई जिसे ग्राम छरेंटा में उसके घर से बरामद किया गया है। वह उसके आधिपत्य का ही होना परिलक्षित होता है। क्योंकि ऐसा कोई साक्ष्य और परिस्थिति अभिलेख पर नहीं हैं कि बुलेरो गाडी अमित के आधिपत्य में न रहती हो। बल्कि मेमोरेण्डम कथन में गाडी अमित के द्वारा ही चलाना और उसके पिता के नाम से होना स्पष्टतः आया है और अखण्डनीय रहा है। लूट में जो रुपये लूटे जाना बताये गये हैं उनकी बरामदगी न होने का अभियोजन के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं माना जा सकता है क्योंकि कथानक मुताबिक रुपयों को खर्च कर लेना बताया गया है।

21. जहाँ तक आरोपी त्रिलोक का प्रश्न है, कथानक मुताबिक आरोपी त्रिलोक को आरोपी अमित के धारा-27 साक्ष्य विधान के मेमोरेण्डम कथन में नाम उजागर किये जाने पर से अनुसंधान में शामिल किया गया है। यह सुस्थापित विधि है कि एक व्यक्ति के मेमोरेण्डम में दी गई सूचना के आधार पर जिसमें यदि किसी दूसरे का नाम आता है तो उसके आधार पर जिस व्यक्ति का नाम आता है उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि उसके विरुद्ध अन्य विश्वसनीय साक्ष्य न आई हो। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **लक्ष्मीनारायण विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 2009 एम0पी0एच0टी0 पेज-478** में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है जिसके आधार पर आरोपी त्रिलोक के विरुद्ध मामला संदिग्ध होने का तर्क बचाव पक्ष की ओर से किया गया है किन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आरोपी त्रिलोक को केवल आरोपी अमित के

प्र0पी0-2 के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर अभियोजित नहीं किया गया है बल्कि उसके संबंध में स्वतंत्र रूप से अनुसंधान किया गया है। कथानक मुताबिक लूट की घटना दो लोगों के द्वारा अंजाम देना बताई गई है। अ0सा0-2 लगायत 5 के द्वारा भी अपने अभिसाक्ष्य में दिनेश गुर्जर एवं हनुमंतसिंह के साथ लूट की घटना दो लोगों के द्वारा कारित किया जाना, लूट के बाद बुलेरो गाड़ी में दोनों का बैठकर जाना बताया गया है। हालांकि उन्होंने पहचान नहीं की किन्तु आरोपीगण को केवल इसी आधार पर अभियोजित नहीं किया गया है बल्कि अनुसंधान के दौरान उनसे लूट का बरामद सामान बताते हुए भी अभियोजित किया गया है। त्रिलोक के संबंध में जो साक्ष्य आई है, उसमें आरोपी अमित के अग्रिम अनुसंधान के दौरान प्र0पी0-9 एवं 10 के मेमोरेण्डम कथनों में भी त्रिलोक का नाम बताया गया है और यह विशिष्ट जानकारी दी गई कि सैमसंग कंपनी का मोबाईल त्रिलोक को दिया था। त्रिलोक को प्र0पी0-12 के गिरफ्तारी पत्रक मुताबिक दिनांक 20.09.13 को गिरफ्तार किया जाना, पुलिस अभिरक्षा में उससे पूछताछ कर प्र0पी0-13 का मेमोरेण्डम कथन लिया जाना और उसमें दी गई विशिष्ट जानकारी के आधार पर त्रिलोक से प्र0पी0-14 मुताबिक मोबाईल की बरामदगी करना बताया गया है। इस तरह से त्रिलोक के संबंध में प्र0पी0-12 लगायत 14 के दस्तावेज महत्वपूर्ण हैं। जिसके संबंध में ए 0एस0आई ए0 एस0 तोमर द्वारा की गयी कार्यवाही का समर्थन आरक्षक जितेन्द्र सिंह अ0सा0-14 के द्वारा भी किया गया है।

22. प्र0पी0-12 लगायत 14 के संबंध में घटना के दूसरे विवेचक ए 0एस0आई0 ए0एस0 तोमर अ0सा0-12 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि उसने दिनांक 20.09.13 को आरोपी त्रिलोक तोमर निवासी सर्वा को गिरफ्तार कर प्र0पी0-12 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था और उसका धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0-13 लिया था जिसके आधार पर सैमसंग कंपनी का लूटा गया मोबाईल फोन मॉडल नंबर-एस-5360 को उसने प्र0पी0-14 का जप्ती पत्रक बनाकर जप्त किया था। प्र0पी0-12 लगायत 14 की कार्यवाही के पंच साक्षी जितेन्द्रसिंह व उदयसिंह बताये हैं। उदयसिंह प्रकरण में पेश नहीं हुआ है किन्तु प्र0पी0-12 लगायत 14 के संबंध में उसकी साक्ष्य अभियोजन द्वारा नहीं कराई गई है और प्र0पी0-12 लगायत 14 के संबंध में अ0सा0-12 एवं आरक्षक जितेन्द्र अ0सा0-14 का ही अभिसाक्ष्य अभिलेख पर है। अ0सा0-14 प्र0पी0 12 लगायत 14 का पंचसाक्षी है ऐसे में उनके अभिसाक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो जाती है। क्योंकि बचाव पक्ष की ओर से प्र0पी0-12 लगायत 14 की कार्यवाही इस आधार पर संदिग्ध बताई गई है कि वे दस्तावेज थाने पर तैयार किये गये हैं और जो साक्षी हैं वे पुलिस के आरक्षक होकर विवेचक के अधीनस्थ हैं। जैसा कि उपरोक्तानुसार स्पष्ट किया जा चुका है कि पुलिस साक्षी की अभिसाक्ष्य पर इस कारण अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि वे पुलिस के कर्मचारी हैं। यह अवश्य है कि उनके अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना होता है।

23. प्र0पी0-12 लगायत 14 के संबंध में अ0सा0-12 पर बचाव पक्ष की ओर से पैरा-4 में ही प्रतिपरीक्षा में जो सुझाव दिये गये हैं उसमें यह तथ्य आया है कि आरोपी त्रिलोक से जो मोबाईल जप्त किया गया था वह उसके घर ग्राम सर्वा से जप्त किया गया था और आरोपी अपने घर के बक्से में से निकालकर दिया था। विवेचक घर के अंदर नहीं

गया था और त्रिलोक के घर में उसकी भाभी आदि महिलाएँ भी थीं। संभवतः महिलाओं के कारण विवेचक घर के अंदर नहीं गया। लेकिन उसने यह बताया है कि उसने बक्से में से निकालकर मोबाईल दिया था। दस्तावेज थाने पर तैयार किये जाने के संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है क्योंकि प्र०पी०-12 लगायत 14 के मुताबिक जो कार्यवाही हुई है उसमें आरोपी त्रिलोक की गिरफ्तारी दिनांक 20.09.13 को दिन के चार बजे बजाज एजेन्सी के पास गोहद चौराहा ग्वालियर रोड के पास से हुई है और थाना गोहद चौराहा पर पुलिस अभिरक्षा में उसका प्र०पी०-13 का धारा-27 साक्ष्य विधान का मेमोरेण्डम कथन दोपहर 4.30 बजे लिया गया फिर त्रिलोक के घर ग्राम सर्वा जाकर उसके पेश करने पर शाम 5.30 बजे मोबाईल की जप्ती बताई गई है। प्र०पी०-14 के जप्ती पत्रक पर दोनों पंच साक्षी आरक्षक उदयसिंह व जितेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर बताये गये हैं जिनका कोई खण्डन नहीं किया गया है। जप्ती पत्र के कॉलम नंबर-13 में मोबाईल को सीलड किये जाने की पुष्टि सील छाप नमूना अंकित होने और प्र०पी०-14 के आरोप के हस्ताक्षर बी से बी भाग पर कराये जाने से होती है क्योंकि उसके हस्ताक्षरों का भी खण्डन नहीं किया गया है। इसलिये प्र०पी०-12 लगायत 14 की कार्यवाही अ०सा०-12 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित मानी जावेगी क्योंकि उसके संबंध में कोई अन्यथा परिस्थिति नहीं आई है और अ०सा०-14 का समर्थन भी है।

24. जप्ती पत्रक में मोबाईल का जो विवरण दिया गया है कि मोबाईल में कोई सिम नहीं थी और बैटरी खोलकर चेक करने पर मोबाईल नंबर-एस-5360 लिखी पाई। तथा आई०एम०आई० नंबर-352384/05 /1143884/2 अंकित पाया गया। इसी मोबाईल की लूट होना दिनेश गुर्जर अ०सा०-2 से प्र०पी०-4 की एफ०आई०आर० मुताबिक बताई गई है जिससे जप्त मोबाईल का मॉडल और आई०एम०आई० के नंबर का मिलान स्पष्टतः हो रहा है। मोबाईल पर त्रिलोक के द्वारा क्लेम भी नहीं किया गया है। न ही ऐसा कोई खण्डन किया गया है कि जो मोबाईल जप्त बताया जा रहा है वह फरियादी दिनेश गुर्जर का नहीं था। इसलिये प्र०पी०-14 के मुताबिक हुई मोबाईल की जप्ती लूट की घटना से कड़ी के रूप में जुड़ती है जिससे आरोपी त्रिलोक की लूट की घटना में संलिप्तता पाई जाती है इसलिये भले ही लूट करने वालों की पहचान अ०सा०-2 लगायत 5 के द्वारा नहीं की गई किन्तु परिस्थितियाँ इस ओर इंगित कर रही हैं कि लूट की घटना आरोपीगण के द्वारा ही अंजाम दी गई है। लूट डकैती जैसी घटनाओं के संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **कपिलदेव डोम विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार 1977 सी०आर०एल०जे० एन०ओ०सी०-137** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अभियुक्तों की लूट डकैती जैसी घटना कारित करने के आशय को परिस्थितियों से सिद्ध किया जा सकता है।

25. प्रकरण में ए०एस०आई० सुभाष पाण्डेय (अ०सा०-13) ने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपी अमितसिंह तोमर का प्र०पी०-09 का मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध करना बताया है, जिसका समर्थन प्रधान आरक्षक गोपसिंह (अ०सा०-08) एवं आरक्षक उग्रसेन (अ०सा०-10) ने अपने अभिसाक्ष्य में किया है। उससे पूर्व की कार्यवाही में प्र०पी०-02 का उक्त आरोपी का लिया गया मेमोरेण्डम कथन के संबंध में भी आरक्षक जितेन्द्र (अ०सा०-01) के अलावा उग्रसेन (अ०सा०-10) ने भी समर्थन किया है। प्र०पी०-02 एवं प्र०पी०-09 के धारा-27 साक्ष्य विधान के मेमोरेण्डम कथनों में जिन तथ्यों का उजागर होना पाया गया

है, वह भी मूल घटना की संबंध में आरोपीगण की संलिप्तता को विधिक बल प्रदान करता है।

26. विचाराधीन मामले में स्थापित यह परिस्थिति कि लूट की घटना दो लोगों के द्वारा अंजाम दी गई। दोनों बुलेरो गाडी क्रमांक-एम0पी0-07सी0बी0 3157 से आये थे और लूट के बाद उसी में बैठकर गये और वह गाडी अमित के पिता के स्वामित्व की निकली, अमित के आधिपत्य से बरामद हुई जो उसका परिचालन करता था तथा मोबाईल बरामदगी के साथ कोई सिम का बरामद न होना भी कडी के रूप में जुड़ता है। क्योंकि कथानक में भी यह घटनाक्रम बताया गया है कि लूट के बाद लूट करने वालों ने मोबाईल में से सिम निकालकर दिनेश गुर्जर को सौंप दी थी जैसा कि स्वयं दिनेशसिंह अ0सा0-2 का भी कहना रहा है। यह परिस्थिति भी कि मोबाईल बिना सिम के बरामद हुआ और आरोपी त्रिलोक की ओर से ऐसा कोई आधार नहीं लिया गया है कि पुलिस ने सिम जान बूझकर नहीं दर्शाई हो या सिम निकाल ली हो। ऐसे में बिना सिम के मोबाईल की बरामदगी भी कडी के रूप में जुड़ रही है जिससे यह परिलक्षित होता है कि लूट की घटना विचाराधीन आरोपीगण के द्वारा ही अंजाम दी गई है।

27. अ0सा0-13 ने फरियादी दिनेश की निशादेही पर प्र0पी0-15 का नक्शामौका बनाना बताया है जिसके संबंध में कोई अन्यथा स्थिति प्रकट नहीं हुई है और अ0सा0-02 लगायत 05 जिस स्थान की घटना बताते हैं कि भिण्ड ग्वालियर हाईवे पर बाराहेड तिराहे के पहले मंदिर के पास उन्हें लूटा गया था जो प्र0पी0-15 के नक्शामौका से भी दर्शित होता है। प्र0पी0-15 का नक्शामौका अ0सा0-13 के अभिसाक्ष्य से खण्डन के अभाव में प्रमाणित होता है जिससे इस बात की पुष्टि अवश्य हो जाती है कि घटनास्थल थाना गोहदचौराहा के क्षेत्रान्तर्गत होकर डकैती प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत था क्योंकि स्वीकृत तथ्य मुताबिक घटना दिनांक को गोहद चौराहा थाना क्षेत्र जो कि राजस्व जिला भिण्ड का अंश है। उसके क्षेत्र में भी एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के प्रावधान उक्त अधिनियम की धारा-3 के तहत जारी अधिसूचना मुताबिक प्रभावशील था जिससे लूट की घटना डकैती प्रभावित क्षेत्र में होना अवश्य प्रमाणित होती है।

28. अन्य परीक्षित साक्षियों में प्र0पी0-4 की एफ0आई0आर0 लेखक ए 0एस0आई सुभाष पाण्डे अ0सा0-13 ने अपने अभिसाक्ष्य में फरियादी दिनेश गुर्जर के द्वारा अपने साथी निकेश गुर्जर, हनुमंत गुर्जर व मुनेन्द्र राजावत के साथ दिनांक 25.01.13 को थाने आकर दिनांक 24.01.13 को हुई लूट की घटना के संबंध में दो बदमाशों के द्वारा मोबाईल फोन और कुल 1200/-रुपये लूट लिये जाने बाबत मौखिक रिपोर्ट करने पर प्र0पी0-4 की एफ0आई0आर0 दर्ज करना बताया है। किन्तु प्र0पी0-4 की एफ0आई0आर0 में लूट करने वालों का कद, काठी, हुलिया आदि का कोई उल्लेख नहीं है और रिपोर्ट अज्ञात में है जिसमें बुलेरो सफेद रंग की गाडी क्रमांक-एम0पी0-07सी0बी0 3157 में बैठे दो अज्ञात बदमाश बताये गये हैं। एफ0आई0आर0 प्र0पी0-4 के सी से सी भाग में 'फिर बुलेरो गाडी वापिस हो गई, फिर मैं डर के कारण अपने घर ग्वालियर चला आया था, बदमाशों में एक लंबा था, इकहरे बदन का गारा था। एक ठिगना था, सांवला था, सामने आने पर पहचान लेंगे, यह बात फरियादी द्वारा ही लिखाई जाना एफ0आई0आर0कर्ता अ0सा0-13 के अभिसाक्ष्य में आया है।

29. इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य, तथ्य परिस्थितियों के समग्र रूप से विश्लेषण करने पर युक्तियुक्त संदेह के परे यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 24.01.13 को रात करीब 8.30 बजे सूर्यास्त के पश्चात बाराहेड तिराहे से पहले भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग(highway) पर थाना गोहद चौराहा के क्षेत्रान्तर्गत मंदिर के पास डकैती प्रभावित क्षेत्र में आरोपी अमित सिंह तोमर व त्रिलोकसिंह के द्वारा लूट करने का आपस में मिलकर सामान्य आशय निर्मित करते हुए उसके अग्रसरण में दिनेशसिंह गुर्जर एवं हनुमंतसिंह से कट्टा अडाकर दिनेश से सैमसंग गैलेक्सी एस-5360 मोबाईल फोन और 600/-रुपये तथा हनुमंतसिंह से 600/-रुपये की लूट कारित की जिससे धारा-392/34 भा0द0वि0 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के अपराध प्रमाणित होते हैं। विकल्प में लगाया गया आरोप धारा-398 सहपठित धारा-34 दोषसिद्ध अपराध में समायोजित होने से पृथक से उसके लिये दोषसिद्ध ठहराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

विचारणीय प्रश्न कमांक-4 एवं 5 का निराकरण

30. विचारणीय प्रश्न कमांक 04 एवं 05 का विश्लेषण एवं निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

31. उक्त विचारणीय प्रश्न आरोपी अमित पर दिनांक 04.02.16 को विरचित अतिरिक्त आरोप धारा-25(1-बी)ए आयुध अधिनियम 1959 से संबंधित है जिसके संबंध में घटना के पीड़ित व रिपोर्टकर्ता दिनेश गुर्जर अ0सा0-2 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह तो बताया है कि लूट करने वालों ने पीछे से कट्टा अड़ाया था और लूट की थी। जिसका समर्थन हनुमंतसिंह अ0सा0-5 जो कि घटना का दूसरा पीड़ित व्यक्ति है, उसने भी किया है। आरोपी अमित से अनुसंधान के दौरान घटना में प्रयुक्त कट्टे की बरामदगी की कार्यवाही भी की गई है और प्र0पी0-8 के जप्ती पत्रक मुताबिक कट्टा कारतूस की बरामदगी दिनांक 07.03.13 को के धारा-27 साक्ष्य विधान के ज्ञापन के आधार पर करना बताई गई है।

32. प्रकरण में आरोपी अमित से संबंधित उक्त आरोप के संबंध में जो दस्तावेज है, उनमें प्र0पी0-01 का गिरफ्तारी पत्रक, प्र0पी0-2 का धारा-27 साक्ष्य विधान का मेमोरेण्डम कथन, प्र0पी0-08 कट्टा कारतूस की जब्ती के समय धारा-27 साक्ष्य विधान का मेमोरेण्डम कथन, प्र0पी0-9 तथा प्र0पी0-10 महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जिनका सूक्ष्मता से और सावधानी पूर्वक विश्लेषण करना होगा, क्योंकि उक्त दस्तावेज के भी सभी साक्षी पुलिस कर्मचारी, अधिकारी हैं।

33. प्र0पी0-01 गिरफ्तारी पत्रक मुताबिक आरोपी अमित की उक्त अपराध में गिरफ्तारी ए0एस0आई0 सुभाष पाण्डेय (अ0सा0-13) ने दिनांक 06/03/13 को शाम 06:20 बजे ग्राम खनेता के पास करना बताया गयी है, उससे पूर्व उक्त विवेचक द्वारा धारा-27 साक्ष्य विधान का प्र0पी0-02 का मेमोरेण्डम कथन शाम 05:40 बजे लिया जाना बताया है। प्र0पी0-02 के कथन में इस आशय की डिस्कवरी का उल्लेख किया गया है,

कि कट्टा उक्त आरोपी ने ग्राम छरेटा स्थित अपने घर में छिपाकर रखा है। दिनांक 06/03/13 को की गयी कार्यवाही में ग्राम खनेता के पास से आरोपी अमित के आधिपत्य से बुलेरो गाडी क्रमांक एम0पी0-07 सी0बी0-3157 को जब्त किया गया है, जिसके बारे में ऊपर विश्लेषण किया जा चुका है, अर्थात दिनांक 06/03/13 को आरोपी से कट्टा कारतूस की बरामदगी ग्राम छरेटा से उसके घर से नहीं हुई थी, बल्कि प्र0पी0-08 मुताबिक अगले दिन बरामद बताया गया है। जिसकी विवेचना ए0एस0आई0 ए 0 एस0 तोमर द्वारा की गयी है। प्र0पी0-02 मुताबिक ग्राम छरेटा में आरोपी अमित के घर से कट्टा कारतूस नहीं मिलने के संबंध में कोई पंचनामा सुभाष पाण्डेय (अ0सा0-13) द्वारा तैयार नहीं किया गया है, किंतु उससे कोई अन्यथा निष्कर्ष निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, न ही ऐसा माना जा सकता है, कि प्र0पी0-02 में कट्टे के संबंध में कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा आमतौर पर भी होता है, कि अपराधी अनुसंधान में सहयोग नहीं करते हैं और तथ्यों को छिपाते हैं तथा अनुसंधान को भ्रमित करने के लिए अन्यथा जानकारी भी देते हैं। प्र0पी0-08 के मुताबिक कट्टा कारतूस की जब्ती, प्र0पी0-09 के मेमोरेण्डम के कथन के आधार पर दिनांक 07/03/13 को आरोपी अमित के हनुमान नगर ग्वालियर स्थित मकान से होना बताया गया है, जिससे यह प्रकट होता है, कि अनुसंधान के दौरान जब आरोपी अमित को ए0एस0आई0 सुभाष पाण्डेय द्वारा पकड़ा गया और पुलिस सुरक्षा में ले कर गिरफ्तारी दर्ज किये जाने के पूर्व प्र0पी0-02 के मेमोरेण्डम कथन लिये गये थे, उसमें उसके द्वारा सही जानकारी नहीं दी गयी। स्वीकृत तौर पर आरोपी अमित वर्तमान में भी अपना निवास गोले का मंदिर ग्वालियर बताता है, जैसा कि उसने धारा-313 दं0प्र0सं0 के तहत अभियुक्त परीक्षण में अपना पता बताया है। हनुमान नगर गोले के मंदिर के क्षेत्र में ही आता है, जिसका न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है। इसलिए ग्राम छरेटा से कट्टा कारतूस बरामद न होना आरोपी को कोई लाभ नहीं पहुंचायेगा, न ही उससे अभियोजन कथानक संदिग्ध माना जा सकता है।

34. प्र0पी0-01 और प्र0पी0-02 की कार्यवाही का समर्थन आरक्षक जितेन्द्र सिंह (अ0सा0-01) और आरक्षक उग्रसेन (अ0सा0-10) के द्वारा भी किया गया है। बचाव पक्ष का यह तर्क भी विधि सम्मत नहीं है, कि प्र0पी0-02 का मेमोरेण्डम कथन गिरफ्तारी के पूर्व का होने से संदिग्ध है, क्योंकि धारा-27 साक्ष्य विधान के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा में होना पर्याप्त है, ऐसा आवश्यक नहीं है, कि पहले औपचारिक गिरफ्तारी की जाये। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ यू0पी0 विरुद्ध देउमन उपाध्याय ए0 आई0आर0-1960 सुप्रीम कोर्ट पैज-198** अवलोकनीय है।

35. प्र0पी0-08 लगायत प्र0पी0-10 की कार्यवाही ए0एस0आई0 ए0 एस0 तोमर (अ0सा0-12) ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 07/03/13 को करना बताया गया है। जिसमें दिन के 01:00 बजे आरोपी अमित का धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत लिये गये मेमोरेण्डम कथन में 315 बोर का कट्टा हनुमान नगर ग्वालियर में घर में रखना और बरामद कराना डी से डी भाग में बताया गया था, उसके आधार पर प्र0पी0-08 मुताबिक उक्त दिनांक को ही रात 09:30 बजे मकान नंबर-1/03 हनुमान नगर ग्वालियर से मकान के अंदर से बक्से से निकाल कर पेश करने पर 315 बोर का देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस की जब्ती की गयी है। जिसका समर्थन आरक्षक मनोज (अ0सा0-07) द्वारा एवं उग्रसेन (अ0सा0-10) के द्वारा भी किया गया है और अ0सा0-12 ने यह भी बताया है,

कि आरोपी अमित ने कट्टा निकाल कर पेश किया था, तब उसने जब्त किया था, मकान के अंदर आरोपी अकेला गया था और आरोपी ने ही बक्से से निकाल कर देना बताया था, उसने स्वयं अंदर जाकर बक्सा नहीं देखा था। जिस मकान से जब्त कराया गया था, वह 25X35 वर्ग फिट का होगा, मकान की चाबी भी आरोपी के पास थी, चाबी को उसने जब्त नहीं किया था। बचाव पक्ष ने लिखित और मौखिक तर्कों में बरामदगी को संदिग्ध होना बताया है, कि उसका कोई पंचनाम पेश नहीं किया गया है और मकान की चाबी जब्त नहीं की है, किंतु विरचित आरोप के लिए चाबी की जब्ती आवश्यक नहीं है और अभिलेख पर ऐसा कोई भी कारण आरोपी की ओर से दृढ़ता से स्पष्ट नहीं किया गया है, कि पुलिस उसे झूठा क्यों फंसायेगी। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **ताहिर विरुद्ध देहली एडमिनिस्ट्रेशन ए0आई0आर0 1996 सुप्रीम कोर्ट पेज-3079** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है, कि पुलिस अधिकारी होने के कारण साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, यह साबित होना चाहिए, कि क्यों झूठा मामला बनाया जायेगा।

36. इस तरह से प्र0पी0-08 और प्र0पी0-09 की कार्यवाही के संबंध में मनोज (अ0सा0-07) एवं उग्रसेन (अ0सा0-10) और ए0एस0आई0 ए0एस0 तोमर (अ0सा0-12) की अभिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए उनकी साक्ष्य कट्टा कारतूस की बरामदगी के बिन्दु पर विश्वसनीय पायी जाती है, जिससे प्र0पी0-09 एवं प्र0पी0-10 प्रमाणित होते हैं। प्र0पी0-10 के मेमोरेण्डम कथन भी आरोपी अमित द्वारा इस संबंध में दिया गया है, कि कट्टा कारतूस की उसकी बरामदगी के अलावा, मोबाइल के संबंध में उसके द्वारा इस आशय की डिस्कवरी की गयी थी, कि वह त्रिलोक के पास है और त्रिलोक से प्र0पी0-13 के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर प्र0पी0-14 मुताबिक मोबाइल की जब्ती हुई है, जिसका समर्थन आरक्षक जितेन्द्र (अ0सा0-14) ने अपने अभिसाक्ष्य में भी किया है, जिससे कड़ी जुड़ती है। इसलिए बचाव पक्ष के लिखित व मौखिक तर्कों में किये गये आक्षेप विधि सम्मत नहीं हैं।

37. इस प्रकार से आरोपी अमित सिंह तोमर के आधिपत्य से प्र0पी0-08 मुताबिक 315 बोर का देशी कट्टा मय जिंदा कारतूस के जब्त होना प्रमाणित है। अभिलेख पर जब्तशुदा कट्टा कारतूस का कोई वैध शस्त्र लाइसेंस भी नहीं है। इसलिए प्रकरण में यह और मूल्यांकित करना होगा, कि जो जब्ती प्र0पी0-08 मुताबिक बतायी गयी है, वह आयुध अधिनियम 1959 की धारा-3 के तहत अवैध आग्नेय शस्त्र की परिधि में आती है या नहीं।

38. अभियोजन की ओर से इस संबंध में आर्म्स मुहर्रर आरक्षक सुरेश दुबे (अ0सा0-6) का अभिसाक्ष्य कराया है, जिसने पुलिस लाइन भिण्ड में आर्म्स मुहर्रर के पद पर दिनांक 06/04/13 को पदस्थ रहते हुए थाना गोहद चौराहे के अपराध क्रमांक 24/13 धारा-392 भा0द0वि0 एवं 11/13 डकैती अधिनियम तथा 25, 27 आर्म्स एक्ट में जब्त शुदा 315 बोर का एक देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस सीलबंद अवस्था में जांच हेतु प्राप्त होने पर उसे जांच करना बताया है, जिसमें देशी कट्टे का एक्शन चालू हालत में होकर सही पाया गया था और फायर योग्य था तथा कारतूस भी जीवित होकर फायर योग्य था, जिसकी पेंदी पर 8 एम.एम.के.एफ. अंकित था और फायर किया जा सकता था। जांच उपरांत उसने प्र0पी0-07 की जांच रिपोर्ट तैयार की थी और कट्टा

कारतूस को पुनः उसी कपडे में सीलबद्ध करके वापिस किया था। साक्षी ने जांच रिपोर्ट के अंत में अपने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 06/03/13 भूलवश लिख जाना बताया है और कोई अन्यथा तथ्य साक्षी की अभिसाक्ष्य में नहीं आया है, जिससे प्र0पी0-07 की जांच रिपोर्ट प्रमाणित होती है। जिससे यह भी प्रमाणित हो जाता है, कि जांच हेतु जो कट्टा व कारतूस भेजे गये थे उसमें कट्टा 315 बोर का था और चालू हालत में था, कारतूस जिंदा था, जिसका उपयोग आग्नेय शस्त्र के रूप में किया जा सकता था। जिससे यह भी प्रमाणित हो जाता है, कि प्र0पी0-08 मुताबिक जब्त किया गया कट्टा, कारतूस आयुध अधिनियम 1959 की धारा-3 की परिधि के अंतर्गत बगैर शस्त्र लाइसेंस के होने से अवैध आग्नेय शस्त्र की श्रेणी में आता है।

39. आयुध अधिनियम 1959 की धारा-25 (1-बी)(ए) को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन चलाने की स्वीकृति जिला दण्डाधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत प्रमाणित की जाना आवश्यक है, इस संबंध में अभिलेख पर अभियोजन की ओर से आर्म्स क्लर्क दिनेश कुमार ओझा (अ0सा0-09) को परीक्षित कराया गया है। जिसने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 26/04/13 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स लिपिक के पद पर पदस्थ रहते हुए थाना गोहद चौराहे के अपराध क्रमांक 24/13 से संबंधित केस डायरी, जब्तशुदा आग्नेय शस्त्र पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र क्रमांक 249 दिनांक 16/04/13 के साथ प्राप्त होने पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी श्री अखिलेश श्रीवास्तव द्वारा जब्तशुदा कट्टा कारतूस, केस डायरी के अवलोकन के पश्चात प्र0पी0-11 की अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। साक्षी ने प्र0पी0-11 की अभियोजन स्वीकृति पर ए से ए भाग पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर और बी से बी भाग पर स्वयं के लघु हस्ताक्षर बताये हैं। यह भी स्पष्ट किया है, कि शस्त्र सीलबंद अवस्था में आये थे, जिला दण्डाधिकारी द्वारा उनका अवलोकन सील खोलकर कराया गया था और पुनः सील बंद कर वापिस किया गया था। इस बात से इन्कार किया है, कि कट्टा, कारतूस का कोई अवलोकन नहीं किया गया है और छपे हुए फॉर्मेट में अभियोजन स्वीकृति भर कर दे दी गयी थी।

40. अ0सा0-09 के अभिसाक्ष्य में अन्यथा कोई तथ्य इस प्रकार का नहीं आया है, जिससे अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने में तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी के द्वारा न्यायिक विवेक का उपयोग न किया गया हो। बचाव पक्ष का यह तर्क कि अभियोजन स्वीकृति के समय तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी द्वारा शस्त्र को देखा नहीं गया, यदि ऐसा मान भी लिया जाये तब भी अभियोजन स्वीकृति अवैध नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि अभियोजन स्वीकृति के समय जिला दण्डाधिकारी के समक्ष आयुधों को पेश किया जाना आवश्यक नहीं है, न ही उनके द्वारा परीक्षण की आवश्यकता है। जैसा कि न्याय दृष्टांत **गुरुदेव सिंह उर्फ गोगा विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 आई0एल0आर0 (2011) एम0पी0 पेज 2053** में सिद्धांत प्रतिपादित है और जिला दण्डाधिकारी पदीय कर्तव्य के निर्वहन के तहत अभियोजन स्वीकृति प्रदान करता है। इसलिए जिला दण्डाधिकारी को साक्षी के तौर पर परीक्षित किये जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ़ एम0पी0 विरुद्ध जियलाल आई0एल0आर0 (2009) पेज 2487** अवलोकनीय है।

41. इस प्रकार से प्र0पी0-11 की अभियोजन स्वीकृति भी अभियोजन द्वारा

प्रमाणित की गयी है, जो इस बात का प्रमाण है, कि आरोपी अमित सिंह तोमर से जो 315 बोर का देशी कट्टा मय जिंदा कारतूस के बरामद हुआ, उसको रखने का आरोपी के पास कोई वैध शस्त्र लाइसेंस नहीं था, जिससे भी विरचित आरोप प्रमाणित होता है, क्योंकि अपराध आयुध अधिनियम 1959 की धारा-3 के उल्लंघन की परिधि में आता है।

42. इस तरह से आरोपी अमित सिंह तोमर के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे, यह प्रमाणित पाया जाता है, कि वह दिनांक 24/01/13 को मूल घटना के समय अपने आधिपत्य में बगैर वैध शस्त्र अनुज्ञप्ति के डकैती प्रभावित क्षेत्र में 315 बोर का देशी कट्टा मय जिंदा कारतूस के रखे पाया गया। फलतः आरोपी अमित सिंह तोमर को धारा 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम 1959 के आरोप में भी दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

43. इस प्रकार से आरोपी अमित सिंह तोमर धारा-392/34 भा0द0वि0 सह पठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 एवं धारा 25 1-बी ए आयुध अधिनियम 1959 के तहत दोषसिद्ध किया गया है तथा आरोपी त्रिलोकसिंह को धारा-392/34 भा0द0वि0 सह पठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के तहत दोषसिद्ध किया गया है दोनों आरोपीगण 21 वर्ष से अधिक आयु के हैं तथा मामला गंभीर स्वरूप का होने से उन्हें अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 के तहत लाभ की पात्रता नहीं आती है, इसलिए दण्डाज्ञा के बिन्दु पर उभय पक्ष को सुनने हेतु निर्णय स्थगित किया जाता है।

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश (डकैती)

गोहद जिला भिण्ड

द ण डा ज्ञा

44. दण्डाज्ञा के बिन्दु पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गये विशेष लोक अभियोजक का तर्क है, कि मामला गंभीर स्वरूप का है, लूट डकैती की घटना अधिक मात्रा में भिण्ड जिले में हो रही हैं, जिससे आम जनता भय भीत है और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है, इसलिए आरोपीगण को कडा दण्ड दिया जाये, जबकि आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह निवेदन किया है, कि आरोपीगण युवक हैं और प्रथम अपराधी हैं तथा संभ्रांत नगरिक हैं और अपने परिवार का पालन पोषण आरोपी त्रिलोक कृषि कार्य करके कर रहा है, तथा अमित विद्या अध्ययन कर रहा है। इसलिए उनके प्रति उदारता बरती जाये और न्यायिक निरोध में काटी गयी अवधि से ही दण्डित करके व जुर्माने से दण्डित कर छोड़ दिया जाये, जिससे उनका व उनके परिवार का भविष्य बरबाद होने से बच जायेगा।

45. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर चिंतन, मनन किया गया अपराध की प्रकृति व परिस्थितियों पर विचार किया गया अभिलेख पर आरोपीगण के विरुद्ध लूट की दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है, जिससे उनके प्रथम अपराधी होने की पुष्टि

अवश्य होती है, लेकिन कारित की गयी घटना गंभीर स्वरूप की है, क्योंकि आरोपीगण के द्वारा आपस में लूट का सामान्य आशय निर्मित करते हुए उसके अग्रसरण में ग्वालियर भिण्ड हाइवे से गुजरते समय फरियादीगण दिनेश एवं हनुमंतसिंह को रोक कर आग्नेय शस्त्र का भय दिखाते हुए लूट की गयी है और इस तरह का अपराध साधारण अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि ऐसे अपराध से आम जनता में भय एवं डर उत्पन्न होता है, इसलिए अपराधियों के प्रति उदारता का रुख अपनाया जाना कतई न्यायसंगत नहीं होगा। अन्यथा ऐसे अपराधों पर अंकुश नहीं लग सकता है। अवैध हथियारों को लेकर चलना स्थानीय प्रचलन हो गया है, जिस पर भी अंकुश की आवश्यकता है, क्योंकि अवैध हथियारों से गंभीर अपराध घटित हो रहे हैं और ऐसे अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए उक्त प्रकरण में आरोपीगण काटी गयी न्यायिक निरोध की अवधि व अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने योग्य नहीं है और यथोचित दण्ड आवश्यक है तथा न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ़ एम0पी0 विरुद्ध मुन्ना चौबे 2005 भाग-3 जे0एल0जे0 (सुप्रीम कोर्ट) पेज-277** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है, कि सामाजिक रूप से अपराधों पर अंकुश लगाये जाने तथा व्यक्तियों की धारणा में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से और सामाजिक प्राणी सुरक्षित रह सकें तथा समाज में विधि की प्रतिष्ठा कायम हो सके, इस दृष्टि से उचित दण्ड अधिरोपित किया जाना चाहिए, जो कि विचाराधीन मामले के अपराध को देखते हुए लागू किये जाने योग्य है।

46. अतः समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त दोनों आरोपीगण को धारा 392/34 भा0द0वि0 सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के अपराध के लिए सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- (पांच हजार) रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर व्यतिक्रम की दशा में छः-छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाये एवं आरोपी अमित सिंह तोमर को धारा-25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के अपराध के लिए तीन वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाये, अर्थदण्ड अदा न करने पर व्यतिक्रम की दशा में तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जाये।

47. आरोपीगण के द्वारा विचारण के दौरान काटी गयी न्यायिक निरोध की अवधि धारा-428 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत कारावास की दण्डाज्ञा में समायोजित की जावे, जिसके प्रमाण पत्र सजा वारंट के साथ संलग्न किये जाये।

48. आरोपी अमित को दोनों अपराधों के कारावास की सजायें एक साथ भुगतायी जाये।

49. प्रकरण में जब्तशुदा 315 बोर का देशी कट्टा मय एक जिंदा कारतूस के अपील अवधि पश्चात निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजा जावे, जब्तशुदा बुलेरो जीप क्रमांक एम0पी0-07 सी0बी0-3157 पूर्व से ही वाहन स्वामी सुरेश पुत्र मोहन सिंह पर सुपुर्दगी पर है अतः अपील अवधि पश्चात सुपुर्दगीनामा उसके पक्ष में भारमुक्त समझा जावे।

50. जब्तशुदा सैमसंग कंपनी का मोबाइल मॉडल नंबर एस0-5360

आई0एम0ई0आई0 नंबर 352384/05/114384/2 फरियादी दिनेश गुर्जर को अपील अवधि पश्चात विधिवत वापिस किया जाये।

51. आरोपीगण को निर्णय की प्रति निशुल्क अबिलंब प्रदान की जावे तथा एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जावे।

दिनांक: **31 अगस्त 2016**

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश (डकैती)
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश (डकैती)
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)